



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50763-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 4522 वर्ष 2026

श्रीमती शिवानी यादव और 2 अन्य

..... याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्चीगण

याचीगण के अधिवक्ता : दिलीप कुमार यादव, मोहम्मद औन

प्रत्यर्चीगण के अधिवक्ता : जी०ए०

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. एकदम आरंभ में ही, विद्वान ए०जी०ए० ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में, अन्वेषण पहले ही पूर्ण हो चुका है और याचीगण के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता पूर्वोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और कथन करते हैं कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं।
4. दिए गए कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 12, 2026

ज़फर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।